पूर्व मध्य रेल

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

पोलसनकॉम्पलेक्स,दीघा घाट,पटना

वेबसाइट: www.rrcecr.gov.in

हेल्पलाइन दूरभाष नंबर0612-2560029, 2560035

रोजगारसूचना सं.:RRC/ECR/Group-D/1/2010

जारी करने कीतिथि: 15.12.2010 अंतिम तिथि व समयः 14.02.2011 को 17.00बजे.

अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के निवासियों के लिए अंतिम तिथि व समयः 28.02.2011 को *1700*बजे है.

पे बैंड – 1, ₹ *5200-20200*, ग्रेडवेतन ₹ *1800* के पदों के लिए खुली भर्ती

रेल भर्ती प्रकोष्ठ / पटना भारत के नागरिकों और अन्य ऐसे उम्मीदवारोंए जिन्हें गृह मंत्रालयए भारत सरकार ने पात्र घोषित किया है, से पूर्व मध्य रेलवे में पे बैंड – 1, ₹ *5200-20200* , ग्रेड वेतन ₹ *1800* के निम्नलिखित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है.

महत्वपूर्ण

उम्मीदवार ध्यान दें कि सभी क्षेत्रीय रेलें पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी करने वाली हैं. सभी रेलों द्वारा शारीरिक दक्षता जाँच समान अवधि में साथ-साथ किया जाएगा. इसी तरहए शारीरिक दक्षता में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए सभी रेलों द्वारा लिखित परीक्षा भी एक ही दिन साथ-साथ आयोजित की जाएगी. किसी विशेष अधिसूचना के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए.

कोटि संख्या	पद का नाम	वेतनमान	*रिक्तियाँ*					विकलांग कोटा			चिकित्सा मानक
			अना.	िअ पिव	अजा	अज जा	कुल	*भीएच*	*एचए च*	*ओएच*	
1	ोपोर्टर	पे बैंड *5200-20200* ग्रेड पे*1800* (पूर्व के ग्रुप डी पद)	5	19	74	9	107	0	0	0	*ए2*
2	ट्रेकमैन		2037	1662	1034	414	5147	0	0	0	बी*1*
3	हेल्पर-II *(यांत्रिक)*		59	76	86	0	221	13	13	13	बी*1*
4	हेल्पर-II*(*एस एंड टी)		42	23	23	8	96	6	6	6	बी*1*
5	हेल्पर -II*(*विद्युत*)*		0	19	39	52	110	9	9	9	बी*1*
6	ग्रुपडी*(*इंजी*)*		434	286	163	73	956	95	95	95	बी*1*
7	स्टोर (कोटिडी*)*		18	10	6	3	37	0	0	0	बी*1*
कुल			*2595*	*2095*	*1425*	*559*	*6674*	*123*	*123*	*123*	

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

(i) शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्तियों (पी डब्लू डी) के लिए आरक्षित रिक्तियां अलग नहीं हैं बल्कि वे रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल हैं.

(ii) पूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां इस अधिसूचना में शामिल नहीं की गयी हैं क्योंकि वे पहले ही अलग सेअधिसूचित की जा चुकी है ।

*1.***पात्रता मानदंड:**

*1.1***न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता:**

उम्मीदवार *10* वीं. पास **या आईटीआई या समकक्ष** होना चाहिए. आवेदन की तिथि को जो उम्मीदवार *10*वीं / आईटीआई या समकक्ष की अंतिम परीक्षा में शामिल हो रहे हों/ या परिणाम का इंतजार कर रहे हों, वे आवेदन करने केलिए पात्र नहीं हैं।

1.2 आयु सीमा:

1.2.1 भर्ती के लिए सामान्य उम्र **दि. 01.01.2011 को 18-33 साल** हो.

1.2.2 निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कोटियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में निम्न सीमा तक छूट है ।

i) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष.

ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष.

iii) 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य में मूल रूप से अधिवासित उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष.

iv) शारीरिक रुप से निःशक्त (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों के लिए -अनारक्षितों के लिए 10वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 वर्ष और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष .

v) सेवारत रेलवे कर्मचारी :- अनारक्षित उम्मीदवारों लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष, बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा कर ली हो (निरंतर या भंग अवधि में).

vi) रेल संगठन के अर्द्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, रेल संस्थान और रेल सहकारी समितियों में 3 वर्ष की सेवा कर चुके कर्मचारियों के मामले में, उम्र में छूट उनके द्वारा की गयी सेवा अवधि, जो अधिकतम 05 वर्ष तथा ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष की शर्त के अधीन होगी.

vii) विधवा, तलाकशुदा और पति से न्यायिक रुप से अलग परंतु पुनर्विवाहित नहीं, के मामले में अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष होगी ।

viii) पाठ्यक्रम संपन्न एक्ट अप्रैंटिस के मामले में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले, जिनकी न्यूनतम योग्यता पाठ्यक्रम संपन्न है, के मामले में ऊपरी आयु सीमा, उनके द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत की गयी प्रशिक्षण अवधि की हद तक छुट मिलेगी ।

2. **<u>आवेदन शुल्क:</u>**

(i) **<u>सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती), ' रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल '</u>, के पक्ष में पटना में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का ₹ 40 / - (केवल चालीस) का क्रास डिमांड** ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर. किसी अन्य रुप में परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा.. ये इस अधिसूचना के जारी होने से पहले की तारीख के जारी नहीं होने चाहिए ।

(ii) उम्मीदवार को भारतीय पोस्टल आर्डर में निर्धारित स्थल पर एवं डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और पता लिखना चाहिए ।

2.1 निम्नलिखित श्रेणियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई हैं:

i. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को.
ii. महिला उम्मीदवारों को.
iii. अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को.
iv. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 50,000/- से कम है.
v. विकलांग व्यक्तियों को.

2.2 अल्पसंख्यक का अर्थ मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जोराष्ट्रीयन (पारसियों) से है. अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क से छूट के लिए दावा, आवेदन प्रपत्र के साथ <u>परिशिष्ट 7</u> के अनुसार 'स्व घोषणा' करनी चाहिए. शुल्क से छूट के लिए दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ों के सत्यापन के समय, 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' अर्थात वह उपर्युक्त किसी एक समुदाय का है, से संबंधित शपथ पत्र गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा. दस्तावेज़ों के सत्यापन के समय, शपथ पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर, उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी.

2.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का मतलब उन उम्मीदवारों से है जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 50,000/- से कम है. ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के <u>परिशिष्ट -8</u> में दिए गए प्रारुप में, जारी करने वाले अधिकारी के लेटर हेड/पैड पर आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए, आवेदनपत्र के साथ संलग्न करना होगा.

2.4 शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति **<u>(पीडब्ल्यूडी)</u>**

शारीरिक निःशक्तता की परिभाषा

(क) **अंधापन :** अंधापन का तात्पर्य उस स्थिति से है जहाँ कोई व्यक्ति निम्न में से किसी एक से पीड़ित हो, जैसे:- (i) पूर्ण अंधापन या (ii) करेक्टिंग लेंस के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं हो या (iii) दृष्टि अंतरण का क्षेत्र 20 डिग्री या उससे कम कोण तक समित.

(ख) **कमजोर दृष्टि :** कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के बाद भी दृष्टि कार्यदक्षता अक्षम हो, लेकिन जो उपयुक्त सहायक यंत्र से किसी कार्ययोजना या निष्पादन करने में पूर्णत: सक्षम हो.

(ग) **श्रवण अदक्षता :** 'श्रवण अदक्षता' का तात्पर्य है बातचीत की आवृति क्षेत्र में बेहतर कान में साठ डेसिबल या उससे अधिक की क्षति.

(घ) (i) **लोकोमोटर अदक्षता :** 'लोकोमोटर अदक्षता' का तात्पर्य है हड्डियों, जोड़ों या माँसपेशियों की विकलांगता जिससे अंगों का संचालन काफी बाधित हुआ हो या किसी प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी.

(ii) **सेरेब्रल पाल्सी :** 'सेरेब्रल पाल्सी' का तात्पर्य है कि विकास के समय किसी व्यक्ति की अविकसित अवस्थाएं जो जन्म से पूर्व, शैशवकाल में मस्तिक में चोट या आघात के कारण अस्वाभाविक मोटर कंट्रोल मुद्रा के रूप में परिलक्षित है.

(iii) अस्थिजनित विकलांगता से ग्रस्ति व्यक्तियों के सभी मामले लोकोमोटर, अदक्षता या सेरेब्रल पाल्सी कोटि के अंतर्गत आएँगे.

(ङ) **आरक्षण के लिए** शारीरिक नि:शक्तता **की सीमा :** केवल वैसे व्यक्ति पदो के लिए आरक्षण के पात्र होंगे जिनकी **संबद्ध** <u>शारीरिक नि:शक्तता **40% से कम नहीं**</u> हो. जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें **परिशिष्ट-5** में दिए गए प्रपत्र में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(च) शारीरिक नि:शक्तता **प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :** शारीरिक नि:शक्तता **प्रमाण पत्र** जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड के होंगे, जिसमें कम-से-कम तीन सदस्य होंगे. जिनमें से एक उस विशेष क्षेत्र जैसे, लोकोमोटर/सेरेब्रल/दृष्टि/श्रवण नि:शक्तता या जैसी भी स्थिति हो, का आकलन करने वाला विशेषज्ञ होगा.

(छ) दृष्टि विकलांग उम्मीदवार/वैसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित हुई है, वे लिखित परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए प्रति**लेखक (Scribe) की सहायता** प्राप्त कर सकते हैं. **परिशिष्ट-6** के अनुसार, प्रतिलेखक का उपयोग करने के लिए उम्मीदवारों को समुचित रूप से रेल भर्ती प्रकोष्ठ को पहले से सूचित करना होगा. प्रतिलेखक का उपयोग निम्न शर्तों के अधीन होगा :-

(i) उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान स्वयं के खर्च पर स्वयं अपने प्रतिलेखक की व्यवस्था करनी होगी. दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लेखक को एक अलग प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा. प्रवेश पत्र में प्रतिलेखक का पूर्ण विवरण एवं उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फोटो लगा होगा.

(ii) प्रतिलेखक की शैक्षिक योग्यता भर्ती किए जाने वाले पद हेतु निर्धारित योग्यता से एक ग्रेड कम होगी.

(iii) प्रतिलेखक उम्मीदवार के शैक्षिक विषय से भिन्न किसी भी शैक्षिक विषय का हो सकता है. उसने उपर्युक्त (ii) में वर्णित योग्यता में 60% से अधिक अंक नहीं प्राप्त किया हो.

(iv) उम्मीदवारों के साथ-साथ प्रतिलेखक को एक उपर्युक्त घोषणा पत्र **(परिशिष्ट-6)** अपने आवेदन पत्र के साथ देना होगा, जो प्रतिलेखक के लिए उपर्युक्त निर्धारित सभी पात्रता मापदंड को प्रतिलेखक पूरा करता है, की पुष्टि करता हो. यदि बाद में पता चलता है कि वह किसी भी पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करता है या वास्तविक तथ्यों को छिपाया है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी. चाहे परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो. दृष्टि विकलांग उम्मीदवार अपने द्वारा लाए गए प्रतिलेखक की ओर से होने वाले किसी प्रकार के कदाचार के लिए उत्तरदायी होगा. दृष्टि विकलांग उम्मीदवार या वैसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी द्वारा प्रभावित हुई हो, को अपने आवेदन के साथ घोषण पत्र संलग्न करना होगा.

(ज) सभी एक नेत्र वाले उम्मीदवार और अन्य दृष्टि विकलांग उम्मीदवार जिनकी दृष्टि निःशक्तता 40% से कम हो, उन्हें दृष्टि विकलांग व्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा और प्रतिलेखक उपयोग करने का प्रावधान उनके साथ लागू नहीं होगा.

(झ) सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के समय रेल चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा और केवल वैसे उम्मीदवार जो भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल में निर्धारित चिकित्सा मानकों तथा अन्य प्रचलित प्रावधानों जैसा भी मामला हो, को पूरा करने वाले ही नियुक्ति के पात्र होंगे.

3. **<u>आवेदन की प्रक्रिया :</u>**

3.1 उम्मीदवारों को अपने आवेदन इस अधिसूचना में दिए गए <u>परिशिष्ट-1</u> में दिए गए फॉर्मेट (प्रारूप) में प्रस्तुत करना चाहिए.

3.2 आवेदन अच्छी गुणवत्ता वाले ए-4 साइज के बांड पेपर (80 जीएसएम) पर केवल एक तरफ इस्तेमाल करते हुए होना चाहिए, समाचार पत्र की कटिंग (कतरन) का उपयोग आवेदन पत्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.

3.3 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन उपर्युक्त विनिर्देशनों के अनुरूप एकल शीट (पत्रक) पर हो. उम्मीदवार वेबसाइट www.rrcecr.gov.in से भी आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं. किसी अन्य स्रोत से मुद्रित आवेदन पत्र का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप है.

3.4 उम्मीदवारों को अपने/अपनी लिखावट में हिंदी या अंग्रेजी में केवल ब्लू (नीली) या ब्लैक (काली) बॉल पाइंट पेन से आवेदन पत्र भरना चाहिए.

3.5 अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के <u>परिशिष्ट-2</u> में दिए गए फॉर्मेट में समुदाय प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए.

3.6 अन्य पिछडा वर्ग (अपिव) समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के <u>परिशिष्ट-3</u> में दिए गए फॉर्मेट में समुदाय प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए. इसके अतिरिक्त अपिव उम्मीदवारों को <u>परिशिष्ट-4</u> में दिए गए प्रपत्र में नन-क्रिमीलेयर स्थिति की स्वयं-घोषणा-पत्र संलग्न करना चाहिए.

3.7 ऐसे उम्मीदवार जो रेल भर्ती बोर्डों/रेल भर्ती सेलों द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने से आजीवन या किसी विनिर्दिष्ट अवधि, जो अभी पूर्ण नहीं हुई हो, के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हों, जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं है.

3.8 उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र अंतिम तिथि को या इससे पहले इस कार्यालय में पर्याप्त अग्रिम रूप से भेजना चाहिए. रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पूर्व मध्य रेल किसी डाक विलंब अथवा आवेदनों की गलत सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

4. आवेदन किसे करें:

4.1 अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन पत्र **सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती), रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल, पोलसन कॉम्पलेक्स, दीघा घाट, पटना - 800011, बिहार.** के नाम से भेजने चाहिए.

4.2 आवेदन पत्र वाले लिफाफे के ऊपर यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए – रोजगार सूचना सं. आरआरसी/ईसीआर/ग्रुप-डी/1/2010, "पे बैंड-1 + ग्रेड पे ₹ 1800/- में पदों पर भर्ती के लिए आवेदन".

4.3 आवेदन पत्र डाक से भेजें ताकि यह उपर्युक्त अंतिम तिथि को या समय से पूर्व इस कार्यालय में पहुँच जाए. भरे हुए आवेदन पत्रों को रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल, पॉलसन कॉम्पलेक्स, दीघा घाट, पटना के परिसर के **ड्रॉप रूम** में भी अंतिम तिथि या समय से पूर्व डाला जा सकता है.

5. अभ्यर्थी केवल एक आवेदन भेजें : प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आवेदन पत्र भेजना चाहिए. उम्मीदवारों द्वारा भेजे जाने वाले बहु-आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा. यदि ऐसा कोई उम्मीदवार अनजाने में चयनित हो जाता है तो उसे बाद में नियुक्ति नहीं दी जाएगी.

6. चयन की प्रक्रिया :

6.1 चयन प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम शारीरिक दक्षता जांच (पीईटी) की जाएगी । इसके बाद लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जाँच होगी । कोई मौखिक परीक्षा नहीं होगी. संपूर्ण पीईटी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी ।

6.2 पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता जाँच (पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा. एक अलग बुलावा पत्र, जिसमें तिथि, समय और स्थान अंकित होगा, सभी योग्य उम्मीदवारों को भेजा जाएगा.

6.3 **शारीरिक दक्षता जाँच (पीईटी) :** अर्हक जांच के रुप में **शारीरिक दक्षता जाँच (पीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जो स्वाभाविक रूप से अर्हक होगा.** पीईटी के लिए मापदंड निम्नानुसार है:-

पुरूष उम्मीदवारों के लिए	महिला उम्मीदवारों के लिए
एक मौका में छह मिनट में 1500 मीटर की दूरी दौड़ने योग्य होना चाहिए.	एक मौका में तीन मिनट में 400 मीटर की दूरी दौड़ने योग्य होना चाहिए.

6.4 केवल उन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो पीईटी में उत्तीर्ण होते हैं. एक अलग बुलावा पत्र, जिसमें तिथि, समय और स्थान अंकित होगा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा।

6.5 शारीरिक रुप से निःशक्त **व्यक्तियों को पीईटी में शामिल होने से छूट दी गई है**।

6.6 **लिखित परीक्षा :** लिखित परीक्षा में दसवीं क्लास स्तर पर आधारित वस्तुनिष्ट प्रकार के बहुविकल्प (4 विकल्प) प्रश्नप्रत्र शामिल होंगे जिसमें सामान्य ज्ञान/जानकारी, गणित, तर्क परीक्षण आदि की जाँच की जाएगी.

6.7 प्रश्न पत्र हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मैथिली में मुद्रित होंगे।

6.8 **ऋणात्मक (निगेटिव) अंक** : गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक होंगे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी।

6.9 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की मेरिट (योग्यता) के आधार पर मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा ।

6.10 अंतिम भर्ती पैनल पूर्णत : लिखित परीक्षा में प्राप्त मेरिट पॉजिशन पर पूर्णत: आधारित होगा।

7. **<u>सामान्य शर्तें</u> :**

7.1 आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को ध्यान से निर्देशों को पढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वह आवेदनों के जमा करने के समय सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते/करती हों।

7.2 इस अधिसूचना में दर्शायी गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और जिसे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

7.3 चयनित उम्मीदवारों को पूर्व मध्य रेल में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है. इस संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा ।.

7.4 प्रारंभिक नियुक्ति पर परिलब्धियाँ यथास्वीकार्य पे बैंड के न्यूनतम वेतन + ग्रेड पे + अन्य अनुमोय भत्ते पर होगी. ।

7.5 केवल चयन और पैनल निर्माण उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देती. ।

7.6 भर्ती के सभी स्तरों पर उम्मीदवारों का प्रवेश पूर्णत: औपबंधिक होगा, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा. ।

7.7 रेल भर्ती प्रकोष्ठ के पास किसी भी स्तर पर परीक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन करने या पीईटी/लिखित परीक्षा पुन: आयोजित करने या भर्ती की किसी प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है. ।

7.8 किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की क्षति/हानि अथवा परीक्षा शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा.।

7.9 **चिकित्सा परीक्षा :** नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता जाँच में सफल होना होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार पद से संबंद्ध कार्यों के निर्वहन के लिए चिकित्सीय रूप से उपयुक्त है. केवल चिकित्सीय रूप से उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों को ही नियुक्ति की जाएगी. ।

7.10 चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाने पर, उच्चतर चिकित्सीय वर्गीकरण वाले किसी विशेष कोटि के पद के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के लिए निम्नतर चिकित्सीय वर्गीकरण वाले वैकल्पिक पद हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

8. **आवेदन के संलग्नक :**

उम्मीदवार निम्नलिखित संगत प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें. मूल प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किए जाएं ।

8.1 परीक्षा शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जहाँ लागू हो ।

8.2 जन्म तिथि के प्रमाणस्वरूप प्रमाण पत्र केवल 10वीं कक्षा या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र स्वीकार होंगे ।

8.3 शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के प्रमाणस्वरूप प्रमाण पत्र ।

8.4 अजा/अजजा/अपिव समुदाय के उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र ।

8.5 शारीरिक विकलांग आरक्षित कोटा हेतु आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए शारीरिक विकलांगता (**निःशक्तता**) प्रमाण पत्र ।

8.6 शुल्क में छूट का लाभ पाने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े कोटि के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र ।

8.7 शुल्क में छूट का लाभ उठाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए स्वघोषणा ।

9. **अमान्य आवेदन :** निम्नलिखित कमियों वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा. यह सूची केवल सांकेतिक है संपूर्ण नहीं ।

9.1 अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन ।

9.2 जहाँ अपेक्षित हो, पोस्टल ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं किया गया हो अथवा यह अधिसूचना की तिथि से पूर्व जारी किया गया हो ।

9.3 आवेदन विहित प्रपत्र में नहीं हो अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण हो ।

9.4 उम्मीदवार आवेदन की तिथि को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता नहीं रखता हो ।

9.5 उम्मीदवार दि. 01.01.2011 को कम उम्र या अधिक उम्र का हो ।

9.6 किसी एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन दिया गया हो. ऐसे मामले में सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा ।

9.7 अपेक्षित फोटो नहीं चिपकाए गए आवेदन ।

9.8 स्वलिखित घोषणा रहित आवेदन ।

9.9 हस्ताक्षर रहित आवेदन ।

9.10 बायाँ हाथ के अंगूठा का निशान/छाप नहीं लगाया गया हो या यह अस्पष्ट हो ।

9.11 पैरा-8 में वर्णित अपेक्षित अनुलग्नकों की प्रतियाँ संलग्न न हो ।

9.12 एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्रों का होना ।

9.13 वैसे आवेदन जिन्हें सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती) रेल भर्ती प्रकोष्ठ, पूमरे/पटना को संबोधित न हो ।

9.14 वैसे आवेदन, जिन्हें हिंदी/अंग्रेजी से भिन्न भाषा में भरा गया हो ।

9.15 कोई अन्य अनियमितता/कमी, जिसे रेल भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा अमान्य समझा या पाया गया हो ।

10. **<u>कदाचार</u>** :

10.1 उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई ऐसा विवरण न दें जो गलत अथवा वास्तविक सूचना को छिपाता हो.

10.2 उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित में किसी प्रकार के राजनीतिक या अन्य प्रभाव का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास न करें.

10.3 भर्ती प्रक्रिया के किसी भाग में उम्मीदवार की ओर से किसी भी तरह का कदाचार निषिद्ध है.

10.4 उपर्युक्त तरीकों में संलिप्तता से किसी भी समय उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी.

10.5 काल्पनिक/जाली/हेरफेर किए गए प्रमाण पत्र जमा करने के दोषी पाए गए/शारीरिक जाँच परीक्षा अथवा लिखित परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने या शारीरिक जाँच परीक्षा अथवा लिखित परीक्षा केंद्र पर दुर्व्यवहार करने के दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों के विरूद्ध रेल भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आपराधिक कार्रवाई सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

11. **<u>प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ</u>** :

अजा – अनुसूचित जाति, अजजा – अनुसूचित जनजाति, अपिव- अन्य पिछड़ा वर्ग, अना- अनारक्षित, दृवि- दृष्टि विकलांग, श्रव-श्रवण विकलांग, अवि – अस्थिजनित विकलांग. भीएच – विजुअली हैंडिकैप्ड (दृष्टि विकलांग) , एचएच – हियरींग हैंडिकैप्ड (श्रवण विकलांग), ओएच – आर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (अस्थिजनित विकलांग)

12. **<u>टिप्पणी</u>** :

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल के आधिकारिक वेबसाइट www.rrcecr.gov.in पर रोजगार अधिसूचना, आवेदन प्रपत्र, परिशिष्टों की एक प्रति उपलब्ध है.

13. **<u>चेतावनी</u>** :

दलालों, भर्ती रैकेट चलाने वाले और पर रुप धारकों अथवा अनुचित या अनैतिक तरिकों से रेलवे में नौकरी दिलाने का झूठा वादा कर आपको ठगने का प्रयास करने वाले छद्म व्यक्तियों से सावधान रहें. रेल भर्ती प्रकोष्ठ/पूमरे की एकमात्र अधिकृत वेबसाइट www.rrcecr.gov.in है. जहाँ समूह 'घ' भर्ती के संबंध में समय-समय पर सूचनाएं दी जाती है. कृपया किसी अन्य वेबसाइट पर न तो विश्वास करें और न कार्रवाई करें. उम्मीदवारों का चुनाव पूर्णत: योग्यता के आधार पर किया जाएगा. कृपया अनैतिक तत्त्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फँसें.

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती)
रेल भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल